

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 133/2021

अनवान : -

1. रामकुमार
2. झमनलाल
3. काशीराम पि0 लादुराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा तहसील भादरा।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :- 1. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता वादीगण  
2. परोकार राज

निर्णय


दिनांक: 24/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 3 अरएमजी तहसील नोहर के प0न0 361/452 मु0न0 12 के किला न0 1 से 5 की खातेदारी भूमि है।

सन् 1965-66 में आरएमजी सिंचाई विभाग द्वारा नहर बनाई गई थी। उसमें से कच्चे खाले से किसान सिंचाई करते थे और सिंचाई विभाग द्वारा उस समय वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि में से मुरब्बा न0 12 के किला न0 4 व 5 में से कच्चे खाला स्वीकृत कर दिया था जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में राजस्व विभाग द्वारा वादीगण की उक्त खातेदारी में उक्त किला में से गैर मुमकिन खाला दर्ज कर दिया गया था लेकिन अब सीएडी विभाग द्वारा इस माईनर के खालों की लाइनिंग बदलकर दुसरी भूमि में से किसानों की बेहतर सिंचाई सुविधा हेतु पक्के खाले का निर्माण कर दिया गया है तथा वादीगण की उक्त भूमि में से खाला निरस्त कर दिया गया है। इसलिए अब यह भूमि गैरमुमकिन खाला न होकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि हो गयी है। अब सिंचाई विभाग द्वारा यहा से खाला हटा दिया है तथा मौका पर अब उक्त किलों कोई खाला नहीं चलता है तथा वादीगण यह भूमि काश्त करते है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर मु. खाला भूमि दर्ज होने के कारण अमलाए माल द्वारा तावान व बेदखली के प्रयास रहते है। जिसे वादीगण के काश्तकारी हकुक का हनन होता है। इसलिए वादीगण उक्त भूमि अपनी खातेदारी भूमि होने की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरुस्त करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को काफी मर्तबा कहा कि वो गै.मु. खाला को मुमकिन दर्ज करवाकर एवं सशोधित कर वाद भूमि वादी के नाम दर्ज कर देवे जिस पर प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहे बिल आखिर कार बमुकाम तहसील परिसर नोहर कतई इन्कार हो गया इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अत वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाके रोही मौजा चक 3 आर.एम. जी तहसील नोहर के प.न. 361/452 मु.न. 12 के किला नं. 4/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला वं 5/1 की 0.0260 हैक्टर खाला की भूमि खाला निरस्त होने के कारण व वादीगण के कब्जा काश्त में होने के कारण वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है तथा तहसीलदार को व उ

  
24/03/26  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

आदेश दिया जावे कि व उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गै.मु. खाला शब्द हटाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी रोही मौजा 3 आरएमजी सम्वत 2073-76 खाता स0 35/33 एवं नकल पर्चा खतौनी पेश की गई। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि उक्त रकबा के मु0न0 12 के किला न0 4 व 5 में कोई खाला नहीं बना हुआ है अतः किला न0 4/1 की 0.025 व 5/1 की 0.026 हैक्ट गै0मु0 भूमि का मुमकिन दर्ज किया जाना उचित है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा 3 आरएमजी के मु0न0 12 के प0न0 361/452 के किला न0 4 व 5 में भाखड़ा सिस्टम में खाला दर्ज था लेकिन सिंचित क्षेत्र विभाग से स्वीकृत चक स्कीम में मु0न0 12 के प0न0 361/452 के किला न0 4 व 5 में खाला नहीं है एवं न ही मौके पर कोई खाला चालु है।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा 3 आरएमजी सम्वत 2073-76 खाता स0 35/33 की कुल 3.2890 दर्ज है उक्त भूमि के प0न0 361/452 के मु0न0 12 के किला न0 4/1 की 0.0250 हैक्ट व किला न0 5/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै.मु. खाला दर्ज है जबकि उक्त गै0मु0 खाला कतई गलत दर्ज है क्योंकि मौके पर कभी भी खाला नहीं रहा है तथा कभी भी उक्त किला के खाला से सिंचाई नहीं की गई है तथा उक्त किला में वादीगण हमेशा फसल काशत करते हैं तथा मौके पर ही फसल काशत है इसलिए वादीगण उक्त भूमि गै.मु. खाला के स्थान पर बतौर खातेदारी यानि मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है उक्त मौके पर सिंचाई विभाग द्वारा कोई खाला निर्मित नहीं है केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वादीगण के खातेदारी हकुक पर विपरित असर पड़ता है। जिसे वादी दुरुस्त करापाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान में रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबन्दी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 आरएमजी सम्वत 2073-76 खाता स0 35/33 की कुल 3.2890 दर्ज है तथा उक्त भूमि के प0न0 361/452 के मु0न0 12 के किला न0 4/1 की 0.0250 हैक्ट व किला न0 5/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै.मु. खाला दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उक्त किला न0 में गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन मौके पर अब खाला नहीं है तथा ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा सशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अब अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत कर दिया है। इसलिए पुराने खाला की आवश्यकता नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी प0न0 361/452 के मु0न0 12 के किला न0 4/1 की 0.0250 हैक्ट व किला न0 5/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै.मु. खाला दर्ज कर रखा है इन किलों की भूमि को वादीगण ही काशत करता है इसलिए वादी उक्त गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी के कथनों की पुष्टि तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से होती है। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट के मुताबिक उक्त रकबा के प0न0 361/452 के मु0न0 12 के किला न0 4/1 की 0.0250 हैक्ट व किला न0

5/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै.मु. खाला दर्ज है लेकिन वर्तमान में न तो खाला व निर्मित है एवं न ही चालु है तथा अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा रिपोर्ट प्रेषित के मुताबिक रोही मौजा 3 आरएमजी के मु0न0 12 के प0न0 361/452 के किला न0 4 व 5 में भाखड़ा सिस्टम में खाला दर्ज था लेकिन सिंचित क्षेत्र विभाग से स्वीकृत चक स्कीम में मु0न0 12 के प0न0 361/452 के किला न0 4 व 5 में खाला नहीं है एवं न ही मौके पर कोई खाला चालु है।


गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा 3 आरएमजी सम्वत 2073-76 खाता स0 35/33 की कुल 3.2890 दर्ज है उक्त भूमि के प0न0 361/452 के मु0न0 12 के किला न0 4/1 की 0.0250 हैक्ट व किला न0 5/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै.मु. खाला दर्ज है। लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नहीं किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नहीं है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी गै0मु0 खाला/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादीगण अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नहीं है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के डिक्ली किया जाकर घोषणा की जाती है किरोही मौजा 3 आरएमजी सम्वत 2073-76 खाता स0 35/33 के प0न0 361/452 के मु0न0 12 के किला न0 4/1 की 0.0250 हैक्ट व किला न0 5/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै.मु. खाला गै.मु. खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्ली जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .....24/03/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 133/2021

अनवान : -

1. रामकुमार
2. झमनलाल
3. काशीराम पि० लादुराम जाति स्वामी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा तहसील भादरा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 133 सन 2021 निर्णय दिनांक 24/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हरिसिंह सिहाग एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 आरएमजी सम्वत 2073-76 खाता स० 35/33 के प०न० 361/452 के मु०न० 12 के किला न० 4/1 की 0.0250 हैक्ट व किला न० 5/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै.मु. खाला गै.मु. खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर